


तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

02.05.2018

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 15/2015 सालग राम बनाम राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम अंतर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट तनावडा में पेश हुई वकुलाय फरीकेन उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस करते है तथा प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक क्लर्क एवं उपसलद आधिकारिक
रूनी (बोधपुर) राय